



झारखण्ड सरकार

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002

E-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in Phone-0651-2481909 / 2480413

अहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खूशहाली ॥

दिनांक 25.04.2016 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय स्थित सभागार में कोर स्ट्रेटजिक ग्रुप की आहुत बैठक की कार्यवाही :-

एजेण्डा संख्या :- 1

लेखा समर्पण की स्थिति की समीक्षा की गई सभी प्रमंडलों का लेखा महालेखाकार को प्रेषित की जा चुकी है सिर्फ राँची, लोहरदगा, बोकारो एवं वन्यप्राणी प्रमंडल का लेखा प्रेषण निलंबित है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी के द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 25.04.2016 तक लंबित लेखा महालेखाकार को भेज दी जायगी।

(सभी संबंधित पदाधिकारी)

एजेण्डा संख्या :- 2

योजनाओं की समीक्षा की गई। विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, चाईबासा से पथ-तट वनरोपण योजना का प्रस्ताव अप्राप्त है। पथ-तट योजना के विषय पर चर्चा की गई एवं सभी पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया है कि योजना तैयार करते समय सर्वप्रथम मुख्य पथ पर वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाय। संकरे अथवा वन आच्छादित सड़को पर गेबियन वृक्षारोपण नहीं जाय।

नई योजना में वन सुरक्षा एवं मृदा संरक्षण से संबंधित योजना बनाने का निदेश दिया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची ने निदेश दिया कि जंगल को पुर्नजिवित करने हेतु भू-संरक्षण के साथ यदि अवकृष्ट वनों की सुरक्षा एवं बड़े आकर के कंटूर ट्रेंच का निर्माण करने के साथ योजना कार्यान्वित की जाय तो पुनः जंगल स्थापित हो जायेगा।

बैठक में यह भी सहमति बनी कि कैम्पा में एन0पी0भी0 के तहत ऐसी योजनाएँ ली जाय, जिसमें भू-संरक्षण एवं जल-संरक्षण कार्य सम्मिलित हो।

(अनुपालन संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक)

एजेण्डा संख्या :- 3

इस कार्यालय के आदेश संख्या 75, दिनांक 05.04.2016 के द्वारा वर्ष 2015 में किये गये वृक्षारोपण कार्य की जांच हेतु समितियों का गठन किया गया है। सभी जांच समितियों को दिनांक 28.04.2016 तक अंतरिम जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(सभी समितियों के अध्यक्ष)

एजेण्डा संख्या :- 5

वनभूमि की जांच हेतु सरकार के द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा अब तक किये गये कार्यों की समीक्षा की गई। सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के द्वारा तीन माह में अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। शेष सभी समितियों को अबतक किये गये कार्यों से संबंधित अंतरिम प्रतिवेदन एक सप्ताह में समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

(सभी रीजन के अपर प्रधान मुख्य व संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रभाग के मुख्य वन संरक्षक)

एजेण्डा संख्या :- 6

बैठक में जानकारी दी गई कि परिसम्पत्ति प्रबंधन हेतु तैयार किया गया मोबाईल App सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है।

NIMS एवं PIMS App एवं Polygon Uploading में पदाधिकारियों ने कतिपय कठिनाई की बात बताया। विभागीय कार्यवाही (Departmental Proceeding) से संबंधित App में भी कुछ सुधार किया आवश्यक है।

इस विषय पर JSAC के राकेश कुमार एवं विभाग में कार्यरत Programmer से समस्या पर चर्चा की गई एवं समस्या का निदान कर दिनांक 28.04.2016 को कार्य प्रगति की स्थिति में अवगत कराने का निदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची के द्वारा दिया गया है।

एजेण्डा संख्या :- 7

Demarcated but not notified वनभूमि को प्राथमिकता के आधार पर अधिसूचित करने हेतु सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों को प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया।

(कार्यवाही सभी संबंधित पदाधिकारी)

एजेण्डा संख्या :- 8

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दावा पर चर्चा की गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड ने सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि यदि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विरुद्ध बिहार पेंशन रूल की धारा 43(b) के तहत कार्यवाही नहीं की गई हो तब पेंशन पेपर रोकने का कोई औचित्य नहीं है। विभागीय कार्यवाही के नाम पर सेवानिवृत्ति पावनाओं को रोकने की कार्रवाई न्याय संगत नहीं है एवं न्यायालय में विभाग के कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, रांची ने सूचित किया कि वनपाल से वनक्षेत्र पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक कर कार्यवाही सरकार को भेज दी गयी है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, रांची ने सूचित किया कि अनुसूचित जनजाति हेतु प्रोन्नति कोटा में कर्णांकित पद के अनुसार उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तथा अनुसूचित जाति के लिए उपलब्ध उम्मीदवारों के लिए रोस्टर में रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति हेतु प्रोन्नति कोटा में कर्णांकित पद के विरुद्ध अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को प्रोन्नति देने की अनुमति सरकार से माँगने पर प्रस्ताव देने हेतु बैठक में निर्णय लिया है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, रांची ने बताया कि वनपाल के सम्वर्ग में 212 रिक्तियाँ हैं जिसके विरुद्ध वनरक्षियों का प्रोन्नति देने हेतु सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों/मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी को संबंधित वनरक्षियों का सेवा स्वच्छता प्रमाण

Sinal

पत्र के साथ अन्य सूचनाएँ यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जानी है। इसके निमित्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, रांची सभी संबंधित को पत्र भेजेगें।

विभाग में सहायकों/लिपिक/चालको की भारी कमी है। इनकी नियुक्ति की कार्यवाही तत्काल आरम्भ करने की कार्रवाई करने पर भी सहमति बनी।

वैसे पदाधिकारी जिनका वेतन पूर्ण व्यक्तिगत दावा कोषांग/महालेखाकार के द्वारा निर्गत किया जाता है, उन्हें अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर छः माह तक ही वेतन दिया जा सकता है। इस संबंध में सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को ध्यान देने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड ने निदेश दिया।

एजेण्डा संख्या :- 9

कैम्पा के तहत 12000 हे0 में वनरोपण कार्य वर्ष 2016 में किया जाना था। इस लक्ष्य के प्राप्ति हेतु सभी वन प्रमंडलों को एक सप्ताह में प्रस्ताव देना है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालयों में Video Conferencing की सुविधा उपलब्ध कराने की चर्चा की गई एवं निर्णय लिया कि इस वर्ष कैम्पा की योजनाओं में इसे सम्मिलित किया जाय ताकि Steering Committee में इस पर अनुमोदन लिया जा सके।

(अनुपालन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/कैम्पा)

एजेण्डा संख्या :- 10

वन विभाग में विश्व विद्यालय के सहयोग से अनुसंधान कार्य करवाने के विषय पर विगत वर्ष हुई बैठक पर चर्चा की गई एवं शीघ्र अनुसंधान कार्य शुरू करने हेतु प्रस्ताव देने का निर्देश प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, झारखण्ड, रांची को दिया गया।

(अनुपालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी)

एजेण्डा संख्या :- 11

वनरक्षी प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु समिति का गठन इस कार्यालय की आदेश संख्या 170, दिनांक 30.09.2015 के द्वारा किया गया है। समिति के अध्यक्ष के द्वारा यह सूचित किया गया कि वनरक्षी प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम तैयार है। शीघ्र समर्पित कर दिया जायेगा।

एजेण्डा संख्या :- 12

व्यक्तिगत दावा के निस्तारण हेतु रोड मैप तैयार करने के लिए इस कार्यालय के आदेश संख्या 28, दिनांक 18.03.2015 के द्वारा समिति का गठन किया गया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, रांची को इस विषय पर अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड)

एजेण्डा संख्या :- 13

दिनांक 26.11.2015 को मा0 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन किया जा चुका है। समेकित अनुपालन प्रतिवेदन सरकार को भेज देना है।

(अनुपालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची कार्यालय)

एजेण्डा संख्या :- 14

महालेखाकार का निरिक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर सामग्री प्रेषण के संबंध में।

इस विषय पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, रांची ने सूचित किया है कि विभाग में कुल 226 कंडिका उत्तर सामग्री हेतु लंबित है। अभी तक किसी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया जा सका है कि कितने लंबित कंडिका का निराकरण प्रतिवेदन महालेखाकार को भेजी जा चुका है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने निदेश दिया कि इस संबंध दिनांक 30.04.16 तथा अद्यतन स्थिति की जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, रांची को सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वृन्त्यप्राणी प्रभाग के मुख्य वन संरक्षक भेज देंगे।

एजेण्डा संख्या :- 15

बैठक में जानकारी दी गई कि Plantation Data Upload करने हेतु सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों को Password उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने निदेश दिया कि इस APP पर data feeding का कार्य दिनांक 30.05.2016 तक पूरा कर लेना है एवं इसकी नियमित समीक्षा सभी APCCF/CCF करेंगे।

(अनुपालन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक-सह-निदेशक व्याघ्र परियोजना)

एजेण्डा संख्या :- 16

बैठक में सहमति बनी की अपनी उपस्थिति सभी पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय कर्मचारी को Biometric Attendance के तहत बनाना है।

(कार्रवाई- सभी कार्यालय प्रधान)

एजेण्डा संख्या :- 17

HRMS के अन्तर्गत सभी कर्मचारी पदाधिकारियों को डाटा भरना है। डाटा भरने की कार्रवाई सभी स्थापना के द्वारा 15 दिन के अन्दर पुरा कर लेना है। इसकी नियमित समीक्षा APCCF HRD के द्वारा की जायगी।

(अनुपालन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, रांची/सभी कार्यालय प्रधान)

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापक 11E-19(A) 01/2015

दिनांक

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

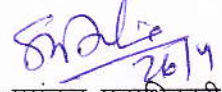
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।

Smal

ज्ञापांक:11E-19(A) 01/2015 1469

दिनांक: 26-4-18

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



वन प्रमंडल पदाधिकारी,
निदेशन एवं प्रशासन, राँची।